रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052020-219659
CG-DL-E-29052020-219659

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942
No. 255] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2020

सा.का.नि. 332(अ).—प्रारूप कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2020 द्वारा कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित है जिन्हें उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के लिए आक्षेपों और सुझाव, यदि कोई हो, मंगाते हुए सा.का.नि. सं.-249 (अ),तारीख 13 अप्रैल, 2020 भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(i) में प्रकाशित किया गया था;

और जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अत: एव, केन्द्रीय सरकार कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 (2015 का 11) की धारा 31 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम 2020 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम 2014 में (इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है):—

(i) प्रस्तावना के सिवाए मूल नियमों में जब आते हैं, कोष्ठकों और अंकों 'कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश 2014 (2014 का अध्यादेश 5)' के स्थान पर कोष्ठकों एवं अंक 'कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 (2015 का 11)' कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे:- और

(ii) नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ञ) के सिवाए मूल नियमों में जब आते हैं, 'अध्यादेश' शब्द के स्थान पर 'अधिनियम' रखा जाएगा।

3. मूल नियम, नियम 2, उप-नियम (1) में,

(i) खण्ड (क),के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(क) "अधिनियम") से कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 (2015 का 11) अभिप्रेत है;

(कक) "अतिरिक्त उद्ग्रहण" का अर्थ वही होगा जो कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 (2015 का 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में संमनुदेशित दिया गया है;

(कख) "संबद्ध"किसी व्यक्ति के मामले में अभिप्राय किसी अन्य व्यक्ति से वही होगा जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से:—

(i) ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करता हो; अथवा

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित है; अथवा

(iii) उसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करता हो; अथवा

(iv) ऐसे व्यक्ति की एक संबद्ध कंपनी हो;

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए 'संबद्ध कंपनी' से अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (6) में समनुदेशित गया है;

(कग) "आवंटन" से आवंटन और नीलामी एक साथ निर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(कघ) "आवंटन" से आवंटन अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट कोयला ब्लॉकों के आवंटन से अभिप्रेत है;';

(ii) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(गक) "नीलामी" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुसूची I कोयला खानों की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा सार्वजनिक नीलामी अभिप्रेत है;

(गख) "बोलीदाता" का अभिप्राय कंपनी अथवा निगम से अभिप्रेत है जो कोयला खान की नीलामी में भाग लेगा;';

(iii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(घक) "अधिकतम कीमत" से अभिप्रेत है जो जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा किसी कोयला खान के लिए नियत कीमत अथवा प्रतिशतता है जिसे उलटाव में नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा;

(घख) "कोयला संयोजन" से अभिप्रेत है जो सुसंगत ईंधन आपूर्ति करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार कोयले की आपूर्ति हेतु कोयला उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी अथवा निगम और उपभोक्ता के बीच करार है;

(घग) "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति अथवा प्रबंधन नियंत्रण का अधिकार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया नीतिगत निर्णय अथवा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाला

तथा शेयर धारण अथवा प्रबंधन अधिकारों द्वारा अथवा शेयरधारक करारों अथवा मतदान करार अथवा कोई अन्य रीति शामिल होगी;';

(iv) खण्ड (च) में शब्द 'नीलामी के माध्यम से आवंटित अनुसूची I कोयला खान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य' शब्दों के स्थान पर 'फारवर्ड नीलामी के माध्यम से आवंटित अनुसूची I कोयला खान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य अथवा प्रतिशतता' रखा जाएगा,;

(v) खण्ड (च), के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(चक) "फारवर्ड नीलामी" से अभिप्रेत है जो नीलामी पद्धति से है जहां बोलीदाता को न्यूनतम मूल्य से अधिक बोली उदृत करना अपेक्षित होगा जो निविदा दस्तावेज यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा;

(चख) "समूह कंपनी" से अभिप्रेत है जो ऐसी कंपनी से है जो किसी अन्य कंपनी से संबद्ध हो;"

(चग) "अवसंरचना विशेष प्रयोजन साधन" से अभिप्रेत है जो ऐसे साधन से है जिसे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित नोडल एजेंसी द्वारा शामिल किया गया हो और–

(i) अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के संनिर्माण के लिए आवश्यक भूमि का धारण करेगा तथा उक्त भूमि को विशेष प्रयोजन साधन के प्रचालन के लिए पट्टा अथवा अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा;

(ii) घरेलू केप्टिव कोयला ब्लॉक का आवंटन करेगा और उक्त देशी केप्टिव कोयला ब्लॉक का खनन, विकास तथा प्रचालन अधिकार विशेष प्रयोजन साधन प्रचालनकर्ता को प्रदान करेगा;

(चघ) "विशेष प्रयोजन साधन का प्रचालन" से अभिप्रेत है जो ऐसे साधन से है जिसे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित नोडल अभिकरण द्वारा शामिल किया गया हो और–

(i) अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए टेरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट प्राप्त करने वाले को अंतरित किया जाएगा;

(ii) अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए वितरण लाइसेंस के साथ अनुज्ञप्ति धारक के साथ विद्युत क्रय करार का निष्पादन;

(iii) अवसंरचना विशेष प्रयोजन साधन के नाम अधिग्रहीत पट्टा के आधार पर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का धारण; अवसंरचना विशेष प्रयोजन साधन को आवंटित केप्टिव कोयला खान के खान विकास प्रचालक के रूप में कार्य करना।

(vi) खंड (ञ) का लोप किया जाएगा;

(vii) इस प्रकार खंड (ञ) के लोप के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

'(ञक) "व्यक्ति" में कोई भी कंपनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, शामिल होगी;

(ञख) "अधिमानित आवंटिती" नियम 11 के उप-नियम (8) में निर्दिष्ट आवंटिती से अभिप्रेत है;

(ञग) "अधिमानित बोलीदाता" नियम 10 के उप-नियम (9) में निर्दिष्ट बोलीदाता से अभिप्रेत है;

(ञघ) "रिवर्स नीलामी" से अभिप्रेत है जो नीलामी की उस पद्धति से है जहां बोलीदाता द्वाराक्रमश: उच्चतम मूल्य से कम बोली लगाना अपेक्षित होगा जो ऐसी शर्तों के अधीन होगा जिन्हें निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किया गया हो;':

(viii) खंड (ट) में, शब्दों और अंकों "आवंटन के रूप में आवंटित अनुसूची I कोयला खान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मूल्य" शब्द और अंक के स्थान पर "आवंटन के रूप में या रिवर्स नीलामी के रूप में आवंटित अनुसूची I कोयला खान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य या प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ix) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:-

"(ड) सफल आवंटिती" से अभिप्रेत है जो एक साथ निर्दिष्ट सफल बोलीदाता और सफल आवंटिती है;

(डक) "सफल आवंटिती" से अभिप्रेत है जिसमें नियम 11 के उप-नियम (9) में निर्दिष्ट आवंटिती है यथास्थिति या कंपनी या निगम, से अभिप्रेत, है जिसे नियम 12 के अनुसरण में कोयला खान आवंटित की गई है;

(डख) "सफल बोलीदाता" से अभिप्रेत है जो नियम 10 के उप-नियम (10) में निर्दिष्ट बोलीदाता है;':

(x) खंड (ण) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'(त) "अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना" से अभिप्रेत है जो अति महत्वपूर्ण कोयला थर्मल प्रौद्योगिकी या और अधिक दक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित 3960 मेगा वाट (मेवा) की स्थापित क्षमता या इससे अधिक या ऐसी अन्य क्षमता जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, वाली विद्युत परियोजना से होगा, जिससे विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 63 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत केंद्रीय सरकार की पहल के जरिए शुरू की गई टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए एक से ज्यादा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में खरीददारों द्वारा बिजली खरीद का करार किया जाता है; और

4. मूल नियमों के नियम 7 में, उप-नियम (2), खंड (त) में, "अनुसूची II कोयला खान" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनूसूची II कोयला खान और उत्पादनरत कोयला खान के मामले में निधान आदेश या आवंटन आदेश समाप्त करने की तारीख पर" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

5. मूल नियमों के नियम 8 में, उप-नियम (2) में,-

(i) आरंभिक भाग में, "निम्नलिखित के संबंध में शब्दों के स्थान पर "निम्नलिखित निर्दिष्ट करते हुए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(iii) इस प्रकार खंड (ख) के लोप के पश्चात्, निम्नलिखित अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(ख क) कोयला खान आवंटन के प्रयोजन में, किन्तु कोयले की स्वयं खपत, या कोयले की बिक्री तक ही सीमित नहीं है, शामिल है।

स्पष्टीकरण: - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, स्वयं खपत में किसी भी निर्दिष्ट अंत्य उपयोग या निर्दिष्ट अंत्य उपयोगों के किसी भी संयोजन में खपत को शामिल किया जा सकता है।";

(iv) खंड (ग) में, "नीलामी या आवंटन करना" शब्दों के स्थान पर "फॉरवर्ड नीलामी या रिवर्स नीलामी के रूप सहित आवंटन या नीलामी करना" शब्द रखे जांएगे।

6. मूल नियमों के नियम 10 में,-

(i) उप-नियम (3) में, -

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:-

"(क) कोयला खान आवंटन के उद्देश्य में, किन्तु कोयले की स्वयं खपत, या कोयले की बिक्री तक ही सीमित नहीं है, शामिल है।;";

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:-

"(ग) सार्वजनिक नीलामी से संबद्ध निबंधन व शर्तों में फॉरवर्ड नीलामी के मामले मेंआधार मूल्य या रिवर्स नीलामी के मामले में उच्चतम कीमत, रिवर्स नीलामी के मामले में रिवर्स मूल्य, पात्रता शर्तें, नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया और अन्य संबंधित सूचना शामिल है;";

(ग) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

"(ड.) नियम 13 के उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित करारका प्रतिरूप;";

(ii) उप-नियम (4) में: -

(क) खंड (ख) में, उप-खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(ग) वित्तीय बोली चरण कोऐसे उप-चरणों या दौर में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा समीचीन समझा जाए।";

(ख) खंड (ग) के उप-खंड (iii) में, "प्रतिभूति, गारंटी उपलब्ध कराना" शब्दों के लिए "बैंक गारंटी के रूप में बोली प्रतिभूति" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(4क) ऐसे मामलों में जहां कोयला खान की नीलामी अधिनियम की धारा (4) की उप-धारा (3) के तहत की गई हो और किसी कंपनी को कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2020 के प्रारंभ से पहले सफल बोलीदाता घोषित किया गया हो, तब ऐसे सफल बोलीदाता की ऐसे कोयला संयोजन के अनुसार कोयला प्राप्त करने की पात्रता ऐसे सफल बोलीदाता को आवंटित खान से पूरी की जा रही कोयले की आवश्यकता के आधार पर आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।"

(4ख) कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2020 के प्रारंभ के बादकोयले कीस्वयं की खपत के प्रयोजनों से आयोजित कोयला खान की नीलामी के मामलों में, जहां कोयला संयोजन वाला बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है, तब ऐसे कोयला संयोजन के अनुसार कोयला प्राप्त करने की पात्रता को उस आधार पर कम किया जा सकता है जो भी निविदा दस्तावेज में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(4ग) उस मामले में जहां स्वयं की खपत के प्रयोजनों से कोयला खान नीलामी के लिए विनिर्दिष्ट की जाती है, तब अंत्य उपयोग परियोजना की क्षमता, जिसके लिए बोलीदाता बोली लगा रहा है, कोयला ब्लॉक की क्षमता के उस अनुपात में होगी जो निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किया गया हो।";

(iv) उप-नियम (5) में, "या दोनों जो किसी कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनियों को आवंटित किया जा सकता है" शब्दों के स्थान पर "या कोयला उत्पादन या इसके किसी भी संयोजन, जिसकी किसी कंपनी या इसकी सहायक कंपनी या धारक कंपनी या संबंद्धकंपनी या समूह कंपनी या इसकी सहायक कंपनी को नीलामी की जा सकती है, के संबंध में किसी अन्य मानदण्ड पर आधारित सीमा" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उप-नियम (9) में, "नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी अग्रेषित करेगा" शब्दों के स्थान पर, "नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी नीलामी के परिणाम के आधार पर वरीय बोलीदाता की घोषणा करेगा और अग्रेषित करेगा" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. मूल नियमों के नियम 11 में,—

(i) उप-नियम (2) में, "किसी सरकारी कंपनी या राज्य के निगम को आवंटित खानों या कोयले के भंडारों, या दोनों, की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट करेगा" शब्दों के स्थान पर " किसी कंपनी या निगम या उसकी सहायक या होल्डिंग कंपनी या सहयोगी कंपनियों या समूह की कंपनियों या उसके सहयोगी को आवंटित किए जा सकने वाले कोयला उत्पादन या उसके किसी संयोजन के बारे में किसी अन्य पैरामीटर के आधार पर खानों या कोयला भंडारों की अधिकतम संख्या या एक सीमा विविनिर्दिष्ट कर सकते हैं" रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (3) में" एक आबंटन दस्तावेज तैयार करेगा अर्थात् आबंटन दस्तावेज" शब्दों के स्थान पर "आबंटन प्रक्रिया के लिए एक दस्तावेज तैयार करेगा, अर्थात आबंटन दस्तावेज" शब्द रखे जाएंगे।;

(iii) उप-नियम (4) में, -

(क) खंड (क) के लिएनिम्न खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(क) सहित कोयला खान के आवंटन का उद्देश्य, लेकिन कोयले की स्वयं खपत या कोयले की बिक्री तक सीमित नहीं हैं;"

(ख) खंड (ग) में, शब्द "पात्रता की शर्तों" के पश्चात्, शब्द "आवंटन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया," अंत स्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु कोयला खान जिसकी खनन योजना तैयार नहीं की गई है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी कोयला ब्लॉक के आबंटन और इस तरह की खान के लिए योजना बनाने के बाद आरक्षित मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकता है; और सफल आवंटी को नियम 13 के उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसारनिर्धारित समय के भीतर आरक्षित कीमत का भुगतान करने के लिए समझौते के एक भाग के रूप में एक शपथ प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि नामविनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विविनिर्दिष्ट किया जा सकता है।”

(घ) खंड (घ) के लिए निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(घ) नियम 13 के उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सफल आवंटियों के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित करार का नमूना";

(iv) उप-नियम (6) में, -

(क) खंड (घ) का लोप जाएगा;

(ख) खंड (छ) में, -

(i) आरंभिक भाग में, "किसी भी विनिर्दिष्ट अंत्य उपयोग के लिए" शब्दों के लिए, "स्वयं की खपत के लिए" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-खंड (iii) में "विनिर्दिष्ट अंत्य-उपयोग" शब्दों के स्थान पर "प्रयोजन' के रूप में विनिर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

"(8) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी आवंटन प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर वरीय आवंटियों की घोषणा करेगा और सफल आवंटियों के चयन के संबंध में केंद्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें भेजेगा।"

(vi) उप-नियम (10) में "केंद्रीय सरकार की कंपनी या निगम की अनुसूची I कोयला खान" शब्द और अंक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“अनुसूची I कोयला खान,—

(i) एक सरकारी कंपनी या निगम जिसका स्वामित्व या प्रबंधन केंद्रीय सरकार के पास है, या

(ii) टैरिफ के स्थान पर प्रतिस्पर्धी बोली (अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट सहित) के आधार पर अधिनिर्णीत की जाने वाली लिंक्ड विद्युत परियोजना में कोयले के उपयोग के स्थान पर एक सरकारी कंपनी या निगम:

परंतु टैरिफ के स्थान पर प्रतिस्पर्धी बोली (अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट सहित) के आधार पर अवॉर्ड की जाने वाली लिंक्ड विद्युत परियोजना में कोयले के उपयोग के स्थान पर एक सरकारी कंपनी या निगम को कोयला ब्लॉक के आवंटन के मामले में केंद्रीय सरकार टैरिफ के स्थान पर प्रतिस्पर्धी से पहले विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुशंसित ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को ऐसे कोयला ब्लॉक के स्थान पर पहले सिद्धांततः आवंटन पत्र जारी करेगी और तत्पश्चात् विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक अधिनिर्णय किए जाने पर अंतिम आबंटन आदेश नियम 13 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा।

(vii) उप-नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(11) कोयले की स्वयं की खपत के प्रयोजन से कोयले की खान के आवंटन के मामलों में जहां एक कोयला संयोजन रखने वाला आवेदक सफल आवंटी बन जाता है, तो ऐसे कोयला लिंकेज के अनुसरण में कोयला प्राप्त करने के लिए ऐसे सफल आवंटियों की हकदारी, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटन दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर कम हो सकती है।”

8. मूल नियमों में नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात:-

12. विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर आवंटन – (1) नियमों 8, 9 या 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 5 के उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची I की किसी भी कोयला खान को विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा ऐसे आवंटन के लिए अनुशंसित किसी भी कंपनी को आवंटित कर सकती है जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा उचित समझी गई निबंधन एवं शर्तों पर अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित टैरिफ हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर विद्युत परियोजना अवार्ड की गई हो।

(2) केंद्रीय सरकार अनुसूची I कोयला खानों की सूची अधिसूचित कर सकेगी जो इस नियम के तहत आवंटन हेतु उपलब्ध होगी तथा ऐसे आवंटन के लिए निबंधन एवं शर्तें भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी।”

9. मूल नियमों के नियम 13 में, -

(i) उप-नियम (1) में "आवंटी" शब्द के स्थान पर "सफल आवंटी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, खण्ड (क) में "प्राप्त" शब्द के लिए "प्रतिकर" शब्द को रखा जाएगा;

(iii) उप-नियम (4) में, -

(क) आरंभिक भाग में "सफल बोलीदाता या आबंटी" शब्दों के स्थान पर, "सफल आवंटिती" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, "जब तक यह केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुमोदित खान योजना में विनिर्दिष्ट की गई अपनी चरम निर्धारित क्षमता तक पहुँचती है" शब्दों के स्थान पर, "उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट करार में दिए गए अनुसार" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"परंतु किसी सरकारी कंपनी या निगम को टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अवॉर्ड की जाने वाली लिंक्ड विद्युत परियोजना (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) में कोयले के उपयोग के लिए नियम 11 के उप-नियम (10) के तहत आवंटन किए जाने की स्थिति में विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर पॉवर प्रोजेक्ट को अवॉर्ड करने के बाद सफल आवंटी की ओर सेऑपरेटिंग स्पेशल पर्पज व्हिकल द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान की जाएगी।"

(iv) उप-नियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5क) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट करार के निबंधन एवं शर्तों को कोयला ब्लॉक के लिए खनन पट्टे की निबंधन और शर्तों में उन अन्य निबंधनों एवं शर्तों के साथ शामिल किया जाएगा जिन्हें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 के तहत उपयुक्त मानती है और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 9 के तहत खान खोलने की अनुमति देने पर, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट करार समाप्त हो जाएगा।

(5ख) कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 के नियम 9 के तहत खान खोलने की अनुमति देने पर सफल आबंटिती, खनन योजना के अनुसार कोयले का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उप-नियम (4) के तहत केंद्रीय सरकार को उसके द्वारा दी गई कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी की राशि के समतुल्य राज्य सरकार के पक्ष में एक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी देगा:

परंतु आवंटन प्रशुल्क (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर सौंपी जाने वाली संबंधित विद्युत परियोजना में कोयले के उपयोग हेतु किसी सरकारी कंपनी अथवा निगम को नियम 11 के उप-नियम (10) के अंतर्गत किया जाता है, तो विद्युत मंत्रालय में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना सौंपने के बाद सफल आवंटिती की तरफ से विशेष प्रयोजन माध्यम से संचालन द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी दी जाएगी।

(5ग) उप-नियम (4) के अंतर्गत दी गई निष्पादन बैंक गारंटी उप-नियम (5ख) के तहत निष्पादन बैंक गारंटी देने के बाद अथवा उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट करार के समाप्त होने के साठ दिन के बाद, इनमें से जो भी पहले हो, सफल आवंटिती को वापस कर दी जाएगी।";

(v) उप-नियम (6) में, "और इन नियमों" शब्द के लिए या किसी अन्य कानून के तहत खनन पट्टे को रद्द करने की स्थिति में, शब्द "और इन नियमोंको, आवीक्षण परमिट की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और खनन पट्टे, किसी अन्य कानून के लागू होने पर उक्त रियायतों को रद्द करने की स्थिति में, अथवा यह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए केंदीय सरकार की राय में आवंटन को समाप्त करने के लिए लोक हित में समीचीन है, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर" रखा जाएगा। "

10. मूल नियमों के नियम 14 में, -

(i) शीर्षक में, " पूर्व आवंटिती के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (1) में, "पूर्व आवंटिती को देय" शब्दों को दोनों स्थानों पर, आते हैं, का लोप किया जाएगा।

11. मूल नियमों के नियम 15 में, -

(क) शीर्षक में "पूर्व आवंटिती के अलावा अन्य व्यक्तियों का आगम" शब्दों के स्थान पर, "प्रतिकर" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप-नियम (1) में, -

(i) "भूमि और खान अवसंरचना से उत्पन्न आगम" शब्दों, दोनों स्थानों पर आते हैं, के स्थान, "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सफल आवंटिती द्वारा जमा किए गए प्रतिकर" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्

"(ग) अनुसूची-I की कोयला खान के संबंध में पूर्व आवंटिती को देय राशि";

12. मूल नियमों के नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"17. पुन: नीलामी और पुन: आवंटन - यदि अनुसूची-I की किसी कोयला खान का आवंटन नियम 10, 11 अथवा 12 के अनुसार नहीं किया जाता है या अनुसूची-I की किसी कोयला खान से संबंधित निधायी आदेश या आवंटन आदेश को किसी भी कारण से समाप्त कर दिया जाता है, यथास्थिति हो, तो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को नियम 10 के तहत दोबारा नीलामी करने अथवा नियम 11 या नियम 12 के तहत कोयला खान का आवंटन करने का अधिकार होगा बशर्ते ऐसे आदेश को केंद्रीय सरकार नियम 8 के तहत जारी करना ठीक समझे।"

13. मूल नियमों के नियम 19 में, -

(i) उप-नियम (1) में "या एक कोयला लिंकेज धारक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (2) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(घ) पक्षकारों के कोयला लिंकेजों का ब्यौरा, यदि कोई है,";

(iii) उप-नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(2क) आवेदन करने से पहले, पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पक्षकार मामलेनुसार कोयला खान के आवंटन अथवा कोयला लिंकेज देने के लिए ठहराव करने अथवा करार करने के लिए अन्यथा पात्र हैं जो कि ऐसे करार या ठहराव का मामले हैं।";

(iv) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे; अर्थात:-

"(4क) केंद्रीय सरकार अपना अनुमोदन देते समय कोई भी शर्त कर सकेगी जिसके तहत ऐसे करार या ठहराव के लिए पक्षकारों को बाध्य किया जाएगा।

(4ख) ऐसे करार या ठहराव के निष्पादन के आधार पर, कोयला खान में खनन प्रचालन करने या कोयला लिंकेज के अंतर्गत् कोयला प्राप्त करने वाले पक्षकार ऐसी कोयला खान या कोयला लिंकेज से संबंधित देयताओं को वहन करेगा।";

(v) उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(6) आवंटिती जिसे प्रशूल्क (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर सौंपी गई संबंधित विद्युत परियोजना में कोयले के उपयोग हेतु नियम 11 के उप-नियम (10) अथवा नियम 12 के तहत कोयला खान को आवंटित किया गया है, ऐसे ठहराव या करार में शामिल होने का पात्र नहीं होगा।"

14. मूल नियमों के नियम 20 में, -

(i) उप-नियम (1) में, "सामान्य के लिए सहायक कंपनी" शब्दों के स्थान पर "इसके लिए धारक कंपनी या इसकी सहायक कंपनी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम(3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(4) आवंटिती जिसे प्रशूल्क (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर सौंपी गई संबंधित विद्युत परियोजना में कोयले के उपयोग हेतु नियम 11 के उप-नियम (10) अथवा नियम 12 के तहत कोयला खान को आवंटित किया गया है, ऐसे ठहराव या करार में शामिल होने का पात्र नहीं होगा।"

15. मूल नियमों के नियम 26 में, -

(क) उप-नियम (1) में,

(i) "सकना" शब्द के लिए, "होगा" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "अनुसूची-I की कोयला खान" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "अनुसूची-II की कोयला खान या किसी उत्पानाधीन कोयला खान जिसके निधायी आदेश अथवा आवंटन आदेश को समाप्त कर दिया गया है," शब्दों और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, "अनुसूची-I" शब्द और अंक का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (4) में, खंड (ख) में, "अनुसूची-I" शब्द और अंक का लोप किया जाएगा।

16. मूल नियमों के नियम 27 में निम्नलिखित उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(3) अनुसच्रूी II कोयला खान या उत्पादनरत कोयला खान जिसका निधान आदेश या आवंटन आदेश समाप्त कर दिया गया है, के मामले में, नामित अभिरक्षक द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है तो, पूर्व जब तक नामित अभिरक्षक संबंधित कोयला खान के कब्जे को मान नहीं लेता है तब तक आवंटिती नामित अभिरक्षक की निगरानी में संबंधित कोयला खान को धारित करेगा।"

17. मूल नियमों के नियम 30 में, उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(1क) नामित अभिरक्षक को उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग भी नामित अभिरक्षक द्वारा, *यथोचित परिवर्तनों सहित,* उत्पादनाधीन किसी भी उस खान के संबंध में किया जाए जिसका निधायी आदेश अथवा आवंटन आदेश समाप्त कर दिया गया है।"

[फा.सं. सीबीए2-13011/1/2020-सीबीए2]

राजेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम संख्या सा.का.नि.883(अ) तारीख 11 दिसंबर, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 782 (अ), तारीख 18 मार्च, 2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2020

G.S.R. 332(E).— WHEREAS, the draft Coal Mines (Special Provisions) Amendment Rules, 2020 proposing to amend the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 were published in in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 249 (E), dated the 13th April, 2020, inviting objections and suggestions, if any, to the Government of India, Ministry of Coal within thirty days from the date on which the said notification was made available to the public;

AND WHEREAS objections and suggestions received from the public have been considered;

NOW, therefore in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Coal Mines (Special Provisions) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules):—

(i) throughout the principal rules wherever they occur, except in the preamble, for the words, brackets and figures, "Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (Ord. 5 of 2014)", the words, brackets and figures "Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015) shall be substituted; and

(ii) throughout the principal rules wherever they occur, except in clause (j) of sub-rule (1) of rule 2, for the word, "Ordinance", the word "Act" shall be substituted.

3. In the principal rules, rule 2, sub-rule (1),

(i) for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:—

'(a) "Act" means the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015);

(aa) "additional levy" has the same meaning as assigned to it in clause (a) of sub-section (1) section 3 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015);

(ab) "affiliate" with respect to any person shall mean any other person who, directly or indirectly:—

(i) controls such person; or

(ii) is controlled by such person; or

(iii) is controlled by the same person who, directly or indirectly, controls such person; or

(iv) is an associate company of such person.

Explanation— For the purpose of this clause "associate company" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (6) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(ac) "allocation" means allotment and auction referred together;

(ad) "allotment" means allotment of coal blocks referred to in section 5 of the Act;';

(ii) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(ca) "auction" means the public auction by competitive bidding of Schedule I coal mines under section 4 of the Act;

(cb) "bidder" means a company or corporation which participate in auction of coal mine;';

(iii) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(da) "ceiling price" means a price or percentage fixed by the Central Government for a coal mine which is to be allocated by way of reverse auction;

(db) "coal linkage" means a contract entered between coal producing Government company or corporation and consumer for supply of coal in accordance with the terms and conditions of the relevant fuel supply agreement;

(dc) "control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including

by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;';

(iv) in clause (f), for the words "the price fixed by the Central Government for a Schedule I coal mine allocated by way of auction", the words "a price or percentage fixed by the Central Government for a Schedule I coal mine allocated by way of forward auction" shall be substituted;

(v) after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(fa) "forward auction" means the method of auction where the bidders shall be required to successively quote the bid higher than the floor price, subject to such conditions as may be specified in the tender document;

(fb) "group company" means a company which is an affiliate of another company;"

(fc) "infrastructure special purpose vehicle" means an entity incorporated by the nodal agency designated by the Central Government for the purposes of Ultra Mega Power Projects and shall –

(i) hold the land required for the construction of the Ultra Mega Power Project and grant the said land under lease or licence to the operating special purpose vehicle;

(ii) hold the allocation of the domestic captive coal block and grant the mining, development and operation rights of the said domestic captive coal block to the operating special purpose vehicle;

(fd) "operating special purpose vehicle" means an entity incorporated by the nodal agency designated by the Central Government for the purpose of an Ultra Mega Power Project and shall –

(i) be transferred to the awardee of an Ultra Mega Power Project on the basis of competitive bids for tariff for the execution of the Ultra Mega Power Projects;

(ii) execute the power purchase agreement with the distribution licensees for execution of the Ultra Mega Power Project;

(iii) hold the land required for the construction of the Ultra Mega Power Project on lease basis acquired in the name of infrastructure special purpose vehicle; act as a mine development operator of the captive coal mine allocated to the infrastructure special purpose vehicle;';

(vi) clause (j) shall be omitted;

(vii) after clause (j) so omitted, the following clauses shall be inserted, namely:—

'(ja) "person" shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;

(jb) "preferred allottee" means the allottee as referred to in sub-rule (8) of rule 11;

(jc) "preferred bidder" means the bidder as referred to in sub-rule (9) of rule 10;

(jd) "reverse auction" means the method of auction where the bidders shall be required to successively quote the bid lower than the ceiling price, subject to such conditions as may be specified in the tender document;';

(viii) in clause (k), for the words and figure "the price fixed by the Central Government for a Schedule I coal mine allocated by way of allotment", the words and figure "a price or percentage fixed by the Central Government for a Schedule I coal mine allocated by way of allotment or by way of reverse auction" shall be substituted;

(ix) for clause (m), the following clauses shall be substituted, namely:—

'(m) "successful allocatee" means the successful bidder and successful allottee referred together;

(ma) "successful allottee" means the allottee as referred to in sub-rule (9) of rule 11 or a company, or as the case may be, corporation to whom coal mine has been allotted in pursuance of rule 12;

(mb) "successful bidder" means the bidder as referred to in sub-rule (10) of rule 10;';

(x) after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:—

'(p) "Ultra Mega Power Project" shall mean a power project based on supercritical coal thermal technology or more efficient technology, with installed capacity of 3960 Mega Watt (MW) or above or such other capacity as may be specified by the Central Government, from which power procurement is tied up by procurers in more than one State or Union territory, through tariff based competitive bidding initiated through a Central Government initiative under the Guidelines for Determination of Tariff Through Transparent Process of Bidding for Procurement of Power from Ultra Mega Power Projects notified by Central Government under section 63 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003)'.

4. In the principal rules, in rule 7, in sub-rule (2), in clause (p), for the words and figures, "Schedule II coal mine;", the words and figures, "Schedule II coal mine and on the date of termination of vesting order or allotment order in case of a coal mine under production;" shall be substituted.

5. In the principal rules, in rule 8, in sub-rule (2),—

(i) in the opening portion, for the words "regarding the following", the words "specifying the following" shall be substituted;

(ii) clause (b) shall be omitted.;

(iii) after clause (b) so omitted, the following shall be inserted, namely:—

"(ba) the purpose of allocation of the coal mine including, but not limited to, own consumption of coal, or for sale of coal.

Explanation— For the purposes of this clause, own consumption may include consumption of coal in any specified end use or in any combination of specified end uses.";

(iv) in clause (c), for the words "conducting auction or allotment", the words "conducting allotment or conducting auction including by way of forward auction or reverse auction" shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 10,—

(i) in sub-rule (3),—

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) the purpose of allocation of the coal mine including, but not limited to, own consumption of coal, or for sale of coal; ";

(b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) the terms and conditions associated with the public auction, including the floor price in case of forward auction or the ceiling price in case of reverse auction, reserve price in case of reverse auction, eligibility conditions, the process of conduct of auction and other related information;";

(c) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) specimen of agreement proposed to be entered into with the successful bidder as specified in sub-rule (5) of rule 13.";

(ii) in sub-rule (4),—

(a) in clause (b), after sub-clause (B), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(C) The financial bid stage may be divided into such sub-stages or rounds as may be deemed expedient by the Central Government.";

(b) in sub-clause (iii) of clause (c), for the words "provide security, guarantee.", the words "bid security in the form of bank guarantee." shall be substituted;

(c) clause (d) shall be omitted;

(iii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(4A) In cases where auction of a coal mine has been conducted under sub-section (3) of section (4) of the Act and a company has been declared successful bidder before the commencement of the Coal Mines (Special Provisions) Amendment Rules, 2020, then the entitlement of such successful bidder to receive coal pursuant to such coal linkage shall stand proportionately reduced on the basis of the requirement of coal being met from the mine allocated to such successful bidder.

(4B) In cases of auction of coal mine for the purpose of own consumption of coal conducted after the commencement of the Coal Mines (Special Provisions) Amendment Rules, 2020 where a bidder having a coal linkage becomes the successful bidder, then the entitlement to receive coal pursuant to such coal linkage may be reduced on such basis as may be specified by the nominated authority in the tender document.

(4C) In case the coal mine is specified for auction for the purpose of own consumption, then the capacity of the end use project for which a bidder is bidding shall be in such proportion to the capacity of coal block as may be specified in the tender document.";

(iv) in sub-rule (5), for the words "or both that may be allocated to a company or its subsidiary or associate companies", the words "or a limit based on any other parameter regarding production of coal or any combination thereof that may be

auctioned to a company or corporation or its subsidiary or holding company or associate companies or group companies or its affiliate" shall be substituted;

(v) in sub-rule (9), for the words "the nominated authority shall forward", the words "the nominated authority shall declare the preferred bidder on the basis of the result of auction and shall forward" shall be substituted.

7. In the principal rules, in rule 11—

(i) in sub-rule (2) for the words "shall specify the maximum number of mines or coal reserves or both that may be allotted to a Government company or corporation of a State", the words "may specify the maximum number of mines or coal reserves or a limit based on any other parameter regarding production of coal or any combination thereof that may be allotted to a company or corporation or its subsidiary or holding company or associate companies or group companies or its affiliate" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), for the words "shall prepare an allotment document that is, the allotment document", the words "shall prepare a document for the allotment process, that is, the allotment document" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (4),—

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) the purpose of allotment of the coal mine including, but not limited to, own consumption of coal or for sale of coal;";

(b) in clause (c) after the words "eligibility conditions,", the words "procedure for making application for allotment," shall be inserted;

(c) after clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case the coal mine whose mining plan has not been prepared, the nominated authority may specify the reserve price after the allotment of coal block and preparation of mining plan for such mine; and the successful allottee shall furnish an undertaking as a part of the agreement, as specified in sub-rule (5) of rule 13, to pay the reserve price within the specified time, as may be specified by the nominated authority.";

(d) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

"(d) specimen of agreement proposed to be entered into with the successful allottee as specified in sub-rule (5) of rule 13.";

(iv) in sub-rule (6),—

(a) clause (d) shall be omitted;

(b) in clause (g),—

(i) in the opening portion, for the words "towards any specified end use", the words "for own consumption" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (iii), for the words "the specified end-use", the words "specified as the purpose" shall be substituted;

(v) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(8) The nominated authority shall declare the preferred allottee on the basis of the result of allotment process and shall forward its recommendations to the Central Government with regard to the selection of the successful allottee.";

(vi) in sub-rule (10), for the words and figure "Schedule I coal mine to a Central Government company or corporation.", the following shall be substituted, namely:—

"Schedule I coal mine to,—

(i) a Government company or corporation owned, managed or controlled by the Central Government, or

(ii) a Government company or corporation for utilisation of coal in the linked power project to be awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project):

Provided that in case of allotment of a coal block to a Government company or corporation for utilisation of coal in the linked power project to be awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project), the Central Government shall first issue an in-principle allotment letter for such coal block to such Government company or corporation recommended by the Government of India in the Ministry of Power before the competitive bidding for tariff and thereafter on successful award of power project, the final allotment order shall be issued in accordance with the process specified in rule 13."

(vii) after sub-rule 10, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(11) In cases of allotment of coal mine for the purpose of own consumption of coal where an applicant having a coal linkage becomes the successful allottee, then the entitlement of such successful allottee to receive coal pursuant to such coal linkage may be reduced on such basis as may be specified by the nominated authority in the allotment document.".

8. In the principal rules, for rule 12, the following shall be substituted, namely:—

"**12. Allotment on the basis of tariff based competitive bidding for power projects.-** (1) Notwithstanding anything contained in rules 8, 10 or 11, the Central Government may in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 5 of the Act, allot any Schedule I coal mine to any company recommended for such allotment by the Government of India in the Ministry of power, which has been awarded power project on the basis of competitive bids for tariff) including Ultra Mega Power Projects), on such terms and conditions as the Central Government may deem expedient.

(2) The Central Government may notify a list of such Schedule I coal mines which would be available for allotment under this rule and may also specify the terms and conditions for such allotment.".

9. In the principal rules in rule 13,—

(i) in sub-rule (1), for the word "allottee", the words "successful allottee" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), in clause (a), for the word "proceeds", the word "compensation" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (4),—

(a) in the opening portion, for the words "successful bidder or allottee", the words "successful allocatee" shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the words "till it reaches its peak rated capacity as specified in the approved mine plan as may be specified by the Central Government", the words "as provided in the agreement specified in sub-rule (5)" shall be substituted;

(c) after clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case the allotment is made under sub-rule (10) of rule 11 to a Government company or corporation for utilisation of coal in the linked power project to be awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project), the performance Bank Guarantee shall be provided by the operating special purpose vehicle on behalf of the successful allottee after award of power project on the basis of competitive bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Power.";

(iv) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(5A) The terms and conditions of the agreement as specified in sub-rule (5) shall be included in terms and conditions of the mining lease for the coal block along with any other terms and conditions that the Central Government or the State Government may deem fit under the Mineral Concession Rules, 1960 and upon grant of the mine opening permission under rule 9 of the Colliery Control Rules, 2004, the agreement as specified in sub-rule (5) shall stand terminated.

(5B) Upon grant of the mine opening permission under rule 9 of the Colliery Control Rules, 2004, the successful allocatee shall provide an unconditional and irrevocable performance bank guarantee in favour of the State Government for the amount equivalent to the performance bank guarantee submitted by it to the Central Government under sub-rule (4) for ensuring the production of coal as per the mining plan:

Provided that in case the allotment is made under sub-rule (10) of rule 11 to a Government company or corporation for utilisation of coal in the linked power project to be awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project), the performance bank guarantee shall be provided by the operating special purpose vehicle on behalf of the successful allottee after award of power project on the basis of competitive bidding in accordance with guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Power.

(5C) The performance bank guarantee submitted under sub-rule (4) shall be returned to the successful allocatee after submission of performance bank guarantee under sub-rule (5B) or after sixty days of termination of the agreement as specified in sub-rule (5), whichever is earlier.";

(v) in sub-rule (6), for the words "and these rules, or in the event of cancellation of mining lease under any other law in force", the words "and these rules, on recommendation of the State Government concerned in the event of breach of terms and conditions of reconnaissance permit, prospecting license, mining lease or prospecting license-cum-mining

lease, in the event of cancellation of said concessions under any other law in force, or it is expedient in public interest to terminate the allocation in the opinion of the Central Government, for the reasons to be recorded in writing" shall be substituted.

10. In the principal rules, in rule 14,—

(i) in the heading, the words "to the prior allottee" shall be omitted;

(ii) in sub-rule(1), the words "payable to the prior allottee", at both the places where they occur, shall be omitted.

11. In the principal rules, in rule 15,—

(a) in the heading, for the words "proceeds to persons other than the prior allottee", the word "compensation" shall be substituted;

(b) in sub-rule (1),—

(i) for the words "proceeds arising out of land and mine infrastructure", at both the places where they occur, the words "compensation deposited by the successful allocattee with the nominated authority" shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) amount payable to the prior allottee in respect of Schedule I coal mine.".

12. In the principal rules, for rule 17, the following rule shall be substituted, namely:—

"**17. Re-auction and re-allotment.—** In case any Schedule I coal mine is not allocated pursuant to rules 10, 11 or 12, or the vesting order or allotment order in respect of any Schedule I coal mine is terminated, as the case may be, the nominated authority shall have the power to re-initiate auction under rule10 or allotment of the coal mine under rule 11 or rule 12, subject to such order as the Central Government may deem fit to issue under rule 8.".

13. In the principal rules, in rule 19,—

(i) in sub-rule (1), the words "or a coal linkage holder" shall be omitted;

(ii) in sub-rule (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) details of coal linkages of the parties, if any.";

(iii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2A) Before applying, the parties shall ensure that all parties to the arrangement or agreement are otherwise eligible for the allocation of the coal mine or grant of coal linkage, as the case may be, which are subject matter of such agreement or arrangement.";

(iv) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(4A) The Central Government while granting its approval may impose any condition which shall be binding on the parties to such agreement or arrangement.

(4B) Upon execution of such agreement or arrangement, the party carrying out the mining operations in the coal mine or receiving coal under coal linkage shall bear the liabilities in relation to such coal mine or coal linkage.";

(v) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6) An allottee to whom the coal mine has been allotted under sub-rule (10) of rule 11 for utilisation of coal in the linked power project awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project) or under rule 12, shall not be entitled to enter into such arrangement or agreement.".

14. In the principal rules, in rule 20,—

(i) in sub-rule (1), for the words "subsidiary company for common", the words "holding company or its subsidiary company for same" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4) An allottee to whom the coal mine has been allotted under sub-rule (10) of rule 11 for utilisation of coal in the linked power project awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project) or under rule 12, shall not be entitled to enter into such arrangement or agreement.".

15. In the principal rules, in rule 26,—

(a) in sub-rule (1),—

(i) for the word "may", the word "shall" shall be substituted;

(ii) for the words and figure "Schedule I coal mine", the words and figure "Schedule II coal mine or a coal mine under production whose vesting order or allotment order has been terminated," shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), the word and figure "Schedule I" shall be omitted;

(c) in sub-rule (4), in clause (b), the word and figure "Schedule I" shall be omitted.

16. In the principal rules, in rule 27, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) In case of a Schedule II coal mine or a coal mine under production whose vesting order or allotment order has been terminated, if so directed by the designated custodian, the prior allottee shall hold the relevant coal mine in trust for the designated custodian until the designated custodian assumes possession of the relevant coal mine.".

17. In the principal rules, in rule 30, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) The powers conferred to a designated custodian under sub-rule (1) may also, *mutatis mutandis,* be exercised by designated custodian in respect of any mine under production whose vesting order or allotment order has been terminated."

[F. No. CBA2-13011/1/2020-CBA2]

RAJESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 883(E), dated the 11th December, 2014 and lastly amended vide number S.O. 782(E), dated the 18th March, 2015

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.05.29 21:30:56 +05'30'